



संख्या-02/2026/1/1208571/2026/11-4099/31/2025

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,

उप सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

वाणिज्य कर अधिकरण,

उ०प्र०, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 09-विद्युत देय में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-वा०क०अधि०/बजट/2025-2026/पुनर्विनियोग/4896/2025, दिनांक 10.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्व लेखा के अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-00-800-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 01-वेतन मद में हो रही बचत से लेखाशीर्षक 2040-00-800-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 09-विद्युत देय मद में रु० 15.00 लाख (रु० पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2040-800-04-वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान के मानक मद 09-विद्युत देय में पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि रु० 15.00 लाख (रु० पन्द्रह लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति (संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग आयुक्त, राज्य कर, 30प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जायेगी।
3. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 089 लेखा शीर्षक 2040008000400 वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान- मानक मद 09 विद्युत देय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, 30प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
7. नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट सिस्टम, राज्य कर विभाग, 30प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।